इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक अपील संख्या – 17 वर्ष 1988

अमर सिंह एवं अन्य ...अपीलकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ...प्रतिवादी

अपीलकर्तागण की ओर से अधिवक्ता: बिमला प्रसाद, के. सी. सक्सेना, कार्तिकेय सिंह, राजेश पचौरी, राजर्षि गुप्ता

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता: ए.जी.ए.

<u>न्यायालय संख्या – 44</u>

माननीय न्यायमूर्ति जे. जे. मुनीर
माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी

(माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी द्वारा प्रदत्त निर्णय)

1. यह आपराधिक अपील दोषसिद्ध व्यक्तियों, अर्थात् अमर सिंह, प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश, हरदयाल, बहोरी तथा बीरी सिंह द्वारा, तत्कालीन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, मथुरा श्री जसवंत सिंह द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 166 सन् 1986, राज्य बनाम अमर सिंह एवं अन्य (जो मुकदमा अपराध संख्या 196 सन् 1985 से उत्पन्न हुआ था), धारा 396 भारतीय दण्ड संहिता, थाना गोवर्धन, जनपद मथुरा में दिनांक 22.12.1987 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. विवादित निर्णय एवं आदेश द्वारा, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, मथुरा ने अपीलकर्ताओं को धारा 396 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास का दण्ड दिया। दिनांक 22.12.1987 के उक्त निर्णय एवं आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने यह अपील प्रस्तुत की है।

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है| सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा|

3. संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि सूचनादाता टीका राम (अ.सा.-1) द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीर दिनांक 11.11.1985 (प्रदर्श-क-1) के आधार पर, थाना गोवर्धन, जनपद मथुरा में अपराध संख्या 196 सन् 1985 के रूप में धारा 396 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11.11.1985 (प्रदर्श-क-11) दर्ज की गई। यह रिपोर्ट छह नामजद अभियुक्तों, जिनमें वर्तमान अपीलकर्ता भी सम्मिलित थे, तथा छह अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत की गई थी।

4. अभियोजन के कथनानुसार, दिनांक 10/11.11.1985 की मध्यरात्रि लगभग 2:00 बजे, सूचनादाता टीका राम (अ.सा.-1) ने अपने भाई पोहप सिंह के घर की दिशा से गोली चलने की आवाज़ें तथा सहायता के लिए पुकारने की आवाज़ें सुनीं। यह सुनकर सूचनादाता, बाबू लाल तथा अन्य ग्रामीणों के साथ घटनास्थल की ओर दौड़ा। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने देखा कि 10-12 सशस्त्र डकैत पोहप सिंह के घर में डकैती कर रहे थे। घातक हथियारों से लैस डकैत घर के भीतर और बाहर आ-जा रहे थे तथा घर के सदस्यों के साथ मारपीट कर रहे थे। घटना के समय पोहप सिंह के घर में जल रही विद्युत रोशनी में सूचनादाता टीका राम (अ.सा.-1), उसके भाई पोहप सिंह तथा भतीजे मुरारी लाल ने छह बदमाशों को स्पष्ट रूप से देखा और पहचान लिया। ये छह व्यक्ति हरदयाल, बीरी सिंह, बहोरी जाटव, प्रकाश, अमर सिंह जाटव तथा कुंजी थे, जो उनसे पहले से ही भली-भाँति परिचित थे। घटना के दौरान डकैत अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप उसी गाँव के निवासी सुफ्हा जाटव के पुत्र सुमेरा को गोली लग गई और उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना में पोहपी, मुरारी, बनवारी लाल, बाबू लाल, रामश्री, किश्नी, रामवती तथा सुन्दरलाल को भी चोटें आईं।

5. अभियोजन का यह भी कथन है कि डकैतों ने पोहप सिंह के घर से नकदी तथा आभूषण लूट लिए। लूटे गए सामान में प्रेमवती तथा पोहप सिंह की पुत्रवधू के स्वामित्व वाले सोने-चाँदी के आभूषण, एक तोला वज़न का एक सोने का कण्ठा, तथा लगभग ₹11,000/- नकद शामिल थे। अपराध कारित करने के पश्चात् डकैत नीम गाँव की ओर भाग गए। अभियोजन ने पूर्व शत्रुता का भी आरोप लगाया है। कहा गया है कि दिनांक 13.07.1985 को अपीलकर्ता हरदयाल गाँव के ही दीपा की पत्नी को भगाकर ले गया था तथा उस प्रकरण में पोहप सिंह ने दीपा की सहायता की थी। उक्त विवाद के कारण हरदयाल, पोहप सिंह से वैमनस्य रखता था और उसी शत्रुता के चलते उसने अन्य अपीलकर्ताओं के साथ मिलकर वर्तमान अपराध को अंजाम दिया।

6. सूचनादाता द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्तों, जिनमें वर्तमान अपीलकर्ता भी सम्मिलित थे, के विरुद्ध धारा 396 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-क-11) दर्ज की गई। मामले की विवेचना विवेचक वीरेन्द्र कुमार तिवारी (अ.सा.-4) द्वारा ग्रहण की गई। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा उपनिरीक्षक अशोक कुमार को मृतक सुमेरा के शव का पंचायतनामा तैयार करने का निर्देश दिया। अ.सा.-4 ने घटनास्थल से खोखे, टिकली तथा छर्रे बरामद कर उनकी बरामदगी का मेमो तैयार किया। घटनास्थल का निरीक्षण करने के उपरान्त उन्होंने नक्शा नज़री (प्रदर्श-क-14) तैयार किया। अ.सा.-4 ने आवश्यक पुलिस प्रपत्र भी तैयार किए, जिनमें फोटो लाश, चालान लाश, मुख्य चिकित्साधिकारी को पत्र तथा आर.आई. को पत्र सम्मिलित

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है|
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा|

थे। इसके पश्चात् मृतक सुमेरा के शव को पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया तथा घटना में घायल हुए नौ व्यक्तियों को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया।

7. जिला चिकित्सालय, मथुरा के डॉ. एम.के. गुप्ता ने मृतक सुमेरा के शव का पोस्टमार्टम परीक्षण किया तथा अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श-क-27) में निम्नलिखित मृत्युपूर्व चोटों का उल्लेख किया—

1. दाहिनी भौंह से 4 सेमी ऊपर, माथे के दाहिने भाग पर 4 सेमी × 3 सेमी का नीलाघात ।
2. ठोड़ी के दाहिने भाग पर 0.25 सेमी × 0.25 सेमी का घर्षण ।
3. बायीं आँख से 3 सेमी पार्श्व में, बाएँ टेम्पोरल क्षेत्र पर 2 सेमी × 1 सेमी का घर्षण।
4. दाहिनी छाती के ऊपरी अग्र भाग पर 0.25 सेमी × 0.25 सेमी आकार के तीन गोली प्रवेश घाव। कालिमा एवं टैटूइंग अनुपस्थित।
5. दाहिनी छाती के मध्य एवं निचले भाग के पार्श्व भाग पर 0.25 सेमी × 0.25 सेमी आकार के दो गोली प्रवेश घाव। कालिमा, झुलसन एवं टैटूइंग अनुपस्थित।
6. पेट के दाहिने ऊपरी एवं मध्य भाग के अग्र तथा पार्श्व भाग पर चार गोली प्रवेश घाव। कालिमा, झुलसन एवं टैटूइंग अनुपस्थित।
7. दाहिने हाथ के निचले भाग के अग्र एवं पश्च भाग पर (चार) गोली प्रवेश घाव, दो आगे तथा दो पीछे। इनका आकार 0.25 सेमी × 0.25 सेमी से 0.2 सेमी × 0.2 सेमी तक था। कालिमा, झुलसन एवं टैटूइंग अनुपस्थित।
8. दाहिनी जांघ के ऊपरी अग्र भाग पर तीन गोली प्रवेश घाव, जिनका आकार 0.25 सेमी × 0.25 सेमी से 0.2 सेमी × 0.2 सेमी तक था। कालिमा, झुलसन एवं टैटूइंग अनुपस्थित।
9. शरीर के दाहिने ऊपरी भाग पर 0.25 सेमी × 0.2 सेमी का एक गोली प्रवेश घाव। कालिमा, झुलसन एवं टैटूइंग अनुपस्थित।
10. बायीं जांघ के ऊपरी भाग पर 0.25 सेमी × 0.25 सेमी आकार के दो गोली प्रवेश घाव। कालिमा, झुलसन एवं टैटूइंग अनुपस्थित।
11. बाएँ घुटने के पार्श्व भाग पर 1 सेमी × 0.5 सेमी का घर्षण।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉ. एम.के. गुप्ता ने मृत्यु का कारण “आघातजन्य रक्तस्राव एवं सदमा” बताया।

8. सभी घायल व्यक्तियों, अर्थात् श्रीमती किश्नी, श्रीमती रामवती, पोहपी, मुरारी लाल, श्रीमती प्रेम, श्रीमती रामश्री, सुन्दर, बाबू लाल तथा बनवारी को जिला चिकित्सालय, मथुरा भेजा गया, जहाँ उनका चिकित्सीय परीक्षण डॉ. आर.आर. वैश्य द्वारा किया गया। उन्होंने प्रदर्श-क-2 से प्रदर्श-क-10 तक की चोट रिपोर्टों में निम्नलिखित चोटें अंकित कीं—

(i) श्रीमती किश्नी की चोट रिपोर्ट (प्रदर्श-क-2)

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. बायीं जांघ के मध्य भाग की भीतरी ओर 0.2 सेमी × 0.2 सेमी का छर्रे (Pellet) का प्रवेश घाव।
2. दाहिने पैर के ऊपरी अग्र भाग पर 0.2 सेमी × 0.2 सेमी का छर्रे का प्रवेश घाव।

(ii) श्रीमती रामवती की चोट रिपोर्ट (प्रदर्श-क-3)

1. जघनास्थि के निकट पेट के मध्य एवं निचले अग्र भाग पर 0.2 सेमी × 0.2 सेमी का छर्रे का प्रवेश घाव।
2. बायीं जांघ के ऊपरी अग्र भाग पर 0.2 सेमी × 0.2 सेमी का छर्रे का प्रवेश घाव।
3. बाएँ टखने के भीतरी भाग पर 0.2 सेमी × 0.2 सेमी का छर्रे का प्रवेश घाव।

(iii) पोहपी की चोट रिपोर्ट (प्रदर्श-क-4)

1. बाएँ पैर (पाद) के भीतरी भाग में 14 सेमी × 1 सेमी क्षेत्र में छर्रों के अनेक प्रवेश घाव ।

(iv) मुरारी लाल की चोट रिपोर्ट (प्रदर्श-क-5)

1. दाहिने पैर के अग्र भाग में 23 सेमी × 10 सेमी क्षेत्र में छर्रों के अनेक प्रवेश घाव; एक्स-रे कराने की सलाह दी गई।
2. बाएँ पैर के निचले अग्र भाग पर 3 सेमी × 0.5 सेमी का पपड़ीयुक्त घर्षण ।
3. बाएँ घुटने के अग्र भाग पर 6 सेमी × 4 सेमी की आघातजन्य सूजन ।
4. बायीं छाती के ऊपरी पश्च भाग पर अनेक पपड़ीयुक्त घर्षणयुक्त नीलाघात ।

(v) श्रीमती प्रेम की चोट रिपोर्ट (प्रदर्श-क-6)

1. दाहिनी जांघ के मध्य अग्र भाग पर 0.3 सेमी × 0.3 सेमी का छर्रे का प्रवेश घाव।

(vi) श्रीमती रामश्री की चोट रिपोर्ट (प्रदर्श-क-7)

1. बाएँ अग्रबाहु के मध्य पश्च भाग पर 0.3 सेमी × 0.3 सेमी का छर्रे का प्रवेश घाव।
2. बाएँ पार्श्व भाग पर 0.3 सेमी × 0.3 सेमी का छर्रे का प्रवेश घाव।
3. बायीं जांघ के ऊपरी भीतरी भाग पर 3 सेमी × 2 सेमी का छर्रे के प्रवेश से उत्पन्न नीलाघात ।

(vii) सुन्दर की चोट रिपोर्ट (प्रदर्श-क-8)

1. दाहिने पैर में दर्द की शिकायत, किन्तु कोई बाह्य चोट का निशान नहीं पाया गया।

(viii) बाबू लाल की चोट रिपोर्ट (प्रदर्श-क-9)

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है| सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा|

1. दाहिने कान की बाहरी सतह के मध्य भाग पर 0.2 सेमी × 0.3 सेमी का पपड़ीयुक्त घर्षण।
2. गर्दन के दाहिने मध्य भाग पर 2 सेमी लंबा रेखीय पपड़ीयुक्त घर्षण।
3. दोनों ओर की छाती के पश्च भाग तथा दाहिने ऊपरी भुजा के ऊपरी भाग में 30 सेमी × 15 सेमी क्षेत्र में छर्रों के अनेक प्रवेश घाव।
4. दोनों नितम्बों पर 15 सेमी × 6 सेमी क्षेत्र में छर्रों के अनेक प्रवेश घाव।

(ix) बनवारी की चोट रिपोर्ट (प्रदर्श-क-10)

1. चेहरे के दाहिने भाग एवं सिर पर 17 सेमी × 15 सेमी क्षेत्र में छर्रों के अनेक प्रवेश घाव; दाहिनी आँख के कंजंक्टाइवा में रक्तसंचय एवं रक्तस्रावजन्य वर्ण परिवर्तन पाया गया।
2. दाहिने घुटने एवं पैर के भीतरी भाग पर 21 सेमी × 6 सेमी क्षेत्र में छर्रों के अनेक प्रवेश घाव।
3. बाएँ पैर के अग्र एवं भीतरी भाग पर 30 सेमी × 8 सेमी क्षेत्र में छर्रों के अनेक प्रवेश घाव।

9. विवेचक वीरेन्द्र कुमार तिवारी (अ.सा.-4) ने घटना के प्रत्यक्षदर्शी एवं अन्य साक्षियों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए। इसके पश्चात् उनका स्थानांतरण हो गया। उनके स्थानांतरण के बाद रहतू सिंह (अ.सा.-5) ने इस प्रकरण की विवेचना अपने हाथ में ली और विवेचना पूर्ण करने के उपरान्त वर्तमान अपीलकर्ताओं, अर्थात् अमर सिंह, प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश, हरदयाल, बहोरी तथा बीरी सिंह के विरुद्ध धारा 396 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोपपत्र (प्रदर्श-क-26) संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किया।

10. अ.सा.-5 द्वारा संबंधित न्यायालय में आरोपपत्र (प्रदर्श-क-26) प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्, विद्वान मजिस्ट्रेट ने यह पाते हुए कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, उसे विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया।

11. विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, मथुरा ने अपीलकर्ताओं, अर्थात् अमर सिंह, प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश, हरदयाल, बहोरी तथा बीरी सिंह के विरुद्ध धारा 396 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप निर्धारित किए। आरोप अपीलकर्ताओं को पढ़कर सुनाए गए, जिनका उन्होंने खण्डन किया और स्वयं को निर्दोष बताते हुए विचारण की मांग की।

12. अभियोजन ने अपने मामले को सिद्ध करने हेतु टीका राम (अ.सा.-1), बाबू लाल (अ.सा.-2), बनवारी लाल (अ.सा.-3), वीरेन्द्र कुमार तिवारी (अ.सा.-4), रहतू सिंह (अ.सा.-5) साक्षियों का परीक्षण कराया मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त, अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में प्रदर्श-क-1 से प्रदर्श-क-27 तक के दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए।

13. अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य अभिलिखित किए जाने के पश्चात् अपीलकर्ताओं के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किए गए। धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज अपने बयानों में सभी अपीलकर्ताओं ने लगाए गए आरोपों से इनकार किया। उन्होंने

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपने कथनों में कहा कि गाँव की आपसी शत्रुता एवं प्रतिद्वंद्विता के कारण उन्हें इस मामले में झूठा फँसाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि वे निर्दोष हैं तथा अभियोजन द्वारा आरोपित डकैती की घटना उन्होंने कारित नहीं की है।

14. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् बचाव पक्ष ने अपने समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरान्त दिनांक 22.12.1987 को विवादित निर्णय एवं आदेश पारित किया, जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं को धारा 396 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी ठहराया गया तथा दण्डित किया गया। सभी अपीलकर्ताओं को आजीवन कठोर कारावास का दण्ड सुनाया गया।

15. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजर्षि गुप्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अनिल कुमार मिश्र को सुना है।

16. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन साक्षियों द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि पक्षकारों के मध्य पूर्व से शत्रुता विद्यमान थी, जिसके कारण अपीलकर्ताओं का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में झूठा सम्मिलित किया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभियोजन के अनुसार अपीलकर्ता घायल व्यक्तियों तथा सूचनादाता के लिए पहले से परिचित थे, फिर भी उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए कोई सावधानी नहीं बरती। यह परिस्थिति अभियोजन कथा को संदिग्ध बनाती है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि कुंजी, जिसके संबंध में अभियोजन का आरोप है कि उसी ने गोली चलाकर सुमेरा की हत्या की थी, उसे पुलिस द्वारा इस मुकदमे में अभियुक्त बनाकर आरोपपत्रित नहीं किया गया। यह भी कहा गया कि अपीलकर्ताओं के पास पोहप सिंह के घर डकैती करने का कोई उद्देश्य नहीं था, विशेष रूप से तब जबकि अपीलकर्ता हरदयाल अपनी सम्पत्ति के संबंध में पहले ही एक वसीयत निष्पादित कर चुका था, जिसके द्वारा उसने अपनी सम्पत्ति राम कुमार, जो पोहप सिंह का वास्तविक भतीजा था, के पक्ष में कर दी थी। अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अभियोजन साक्षियों ने यह नहीं बताया कि किस अपीलकर्ता के पास कौन-सा हथियार था तथा किसने किस व्यक्ति को चोट पहुँचाई, जबकि अभियोजन के अनुसार सभी अपीलकर्ता उन्हें पूर्व से भली-भाँति ज्ञात थे। यह भी तर्क दिया गया कि सभी अभियोजन साक्षी एक ही परिवार के सदस्य हैं। वे आपस में पिता, पुत्र और भतीजे हैं। अतः वे पक्षपाती साक्षी हैं, जो अपीलकर्ताओं के प्रति वैमनस्य रखते थे। ऐसी स्थिति में, जब घटनास्थल पर स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति स्वीकार की गई है, किन्तु उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, तब केवल इन साक्षियों के कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यह भी कहा गया कि अभियोजन ने जानबूझकर पोहप सिंह को साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, जबकि कथित डकैती उसी के घर में होने का दावा किया गया है। अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि यद्यपि अभियोजन के अनुसार डकैत परिचित एवं नामजद थे तथा पुलिस ने उनके विरुद्ध *चालान* प्रस्तुत किया, फिर भी पुलिस अपीलकर्ताओं के घरों से कोई भी लूटा गया सामान, आभूषण अथवा अन्य मूल्यवान वस्तु बरामद नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि अभियोजन की कहानी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है| सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा|

Translated version. Not for legal use.

के अनुसार डकैती में अपीलकर्ताओं के अतिरिक्त छह अज्ञात व्यक्ति भी सम्मिलित थे, किन्तु पुलिस उन अज्ञात अपराधियों को गिरफ्तार करने में असफल रही। उपरोक्त तर्कों के आधार पर विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पूर्व शत्रुता के कारण प्रतिशोध की भावना से केवल उन्हीं व्यक्तियों को, जो अभियोजन पक्ष के लिए परिचित थे और जिनके विरुद्ध पूर्व से वैमनस्य था, इस डकैती के मुकदमे में झूठा फँसा दिया गया। अतः विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि वर्तमान आपराधिक अपील स्वीकार किए जाने योग्य है तथा दिनांक 22.12.1987 का दोषसिद्धि एवं दण्डादेश संबंधी निर्णय एवं आदेश निरस्त किया जाना चाहिए।

17. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का जोरदार विरोध किया और कहा कि सूचनादाता टीका राम (अ.सा.-1) द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीर (प्रदर्श-क-1) तत्काल एवं बिना विलम्ब के दर्ज कराई गई थी, जिसमें सभी अपीलकर्ताओं के नाम कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ स्पष्ट रूप से अंकित किए गए थे। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं ने विद्युत प्रकाश में दिखाई देते हुए डकैती एवं हत्या की घटना कारित की थी। अपीलकर्ताओं के कृत्यों के परिणामस्वरूप सुमेरा की घटनास्थल पर ही आग्नेयास्त्र से लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई तथा अन्य नौ व्यक्तियों को भी आग्नेयास्त्र से चोटें आईं। अभियोजन साक्षी टीका राम (अ.सा.-1), बाबू लाल (अ.सा.-2) तथा बनवारी लाल (अ.सा.-3), जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं, ने अपने साक्ष्य में अभियोजन की कहानी का पूर्ण समर्थन किया है। यह भी तर्क दिया गया कि डकैती की घटना के पीछे प्रेरक कारण (मोटिव) अपीलकर्ता हरदयाल के साथ विद्यमान पूर्व शत्रुता थी। इसी वैमनस्य के कारण हरदयाल ने अन्य अपीलकर्ताओं के साथ मिलकर प्रतिशोध लेने की योजना बनाई। सभी अपीलकर्ता अभियोजन साक्षियों के लिए पूर्व से परिचित एवं भली-भाँति ज्ञात थे।

18. आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन करने के पश्चात् अपीलकर्ताओं को आरोपित अपराध का दोषी पाया। विद्वान विचारण न्यायालय ने एक सुविचारित एवं कारणयुक्त निर्णय पारित करते हुए अपीलकर्ताओं को दोषसिद्ध ठहराया। विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों में न तो कोई विधिक त्रुटि है, न कोई विकृति और न ही साक्ष्यों के मूल्यांकन में कोई त्रुटि है। अतः अभियुक्त-अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत यह अपील गुण-दोष से रहित है और निरस्त किए जाने योग्य है।

19. हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन किया है। हमने दिनांक 22.12.1987 के दोषसिद्धि एवं दण्डादेश संबंधी निर्णय और आदेश का भी परीक्षण किया है।

20. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आलोक में हम पाते हैं कि वर्तमान मामला हत्या सहित डकैती का है। हम यह भी पाते हैं कि अभियोजन के अनुसार डकैती करने वाले

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है|
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा|

Translated version. Not for legal use

छह नामजद अभियुक्त अभियोजन साक्षियों के लिए पूर्व से परिचित एवं भली-भाँति ज्ञात व्यक्ति थे तथा कथित डकैती विद्युत प्रकाश में घटित हुई बताई गई है।

21. लिखित तहरीर (प्रदर्श-क-1) के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपराध कारित किए जाने का कथित उद्देश्य (मोटिव) अपीलकर्ता हरदयाल द्वारा रखी गई शत्रुता था। तहरीर में उल्लेख है कि हरदयाल ने उसी गाँव के निवासी दीपा की पत्नी को भगाकर ले गया था। इस विवाद के संबंध में सूचनादाता टीका राम (अ.सा.-1) के भाई पोहप सिंह ने दीपा की सहायता की थी। इसी कारण अपीलकर्ता हरदयाल ने प्रतिशोधवश अन्य नामजद व्यक्तियों के साथ मिलकर पोहप सिंह के घर डकैती की घटना को अंजाम दिया। लिखित तहरीर में आगे यह भी कहा गया है कि डकैती की घटना विद्युत प्रकाश में घटित हुई थी, जिसके कारण स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, और सभी डकैत अभियोजन साक्षियों द्वारा देखे गए तथा उनकी पहचान अभियोजन साक्षियों को पूर्णतः ज्ञात थी। नामजद अभियुक्तों के अतिरिक्त छह अन्य अज्ञात डकैत भी घटना में सम्मिलित थे, जिन्हें अभियोजन साक्षी उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर पहचान सकते थे।

22. यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि घटना दिनांक 10/11.11.1985 की मध्यरात्रि लगभग 2:00 बजे हुई थी तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11.11.1985 को प्रातः 3:30 बजे तत्काल दर्ज करा दी गई थी। घटनास्थल ग्राम सकरवा में स्थित था, जो संबंधित थाना से मात्र दो मील की दूरी पर था। सूचना प्राप्त होने के पश्चात् विवेचक ने दिनांक 13.11.1985 को अपीलकर्ता बहोरी के घर पर दबिश दी, किन्तु वह अपने घर पर उपस्थित नहीं मिला। विवेचक ने उसके घर की तलाशी ली, परन्तु वहाँ से कोई भी लूटा गया सामान बरामद नहीं हुआ, जैसा कि प्रदर्श-क-24 से स्पष्ट है। विवेचक ने अभियुक्त होरी सिंह के घर पर भी दबिश दी। वह भी उस समय अपने घर पर उपस्थित नहीं था। उसके घर की तलाशी भी ली गई, किन्तु विवेचक उसके कब्जे से कोई भी लूटी गई वस्तु बरामद करने में सफल नहीं हो सका जैसेकि यह तथ्य प्रदर्श-क-25 में परिलक्षित होता है।

23. जब सूचनादाता टीका राम (अ.सा.-1) का न्यायालय में परीक्षण किया गया, तो उसने अपने मुख्य परीक्षण में निम्नलिखित कथन किया "न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण, अर्थात् बीरी सिंह, बहोरी, अमर सिंह, प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश तथा हरदयाल, घटना से पहले से ही मेरे परिचित थे। हरदयाल मेरे गाँव का रहने वाला है और अन्य अभियुक्त उसके यहाँ आया-जाया करते थे, इसी कारण मैं उन्हें जानता हूँ। घटना से लगभग तीन-चार माह पूर्व अभियुक्त हरदयाल हमारे गाँव के निवासी दीपा की पत्नी को भगाकर ले गया था और कृष्णा नगर में रहने लगा था। मेरे भाई पोहप सिंह ने दीपा की सहायता की थी, जिसके कारण अभियुक्तगण हमसे रंजिश रखते हैं। यह घटना लगभग डेढ़ वर्ष पुरानी है। रात लगभग 2 बजे मेरे भाई पोहप सिंह के घर डकैती हुई। उस समय मैं अपने घर पर सो रहा था। पोहप सिंह के घर की दिशा से गोलियाँ चलने की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई और मैं उसके घर की ओर गया। बाबू लाल तथा पड़ोस के अन्य लोग भी मेरे साथ थे। पोहप सिंह के घर के बरामदे, आँगन तथा दुकान में बिजली की बत्तियाँ जल रही थीं। मैंने देखा कि 10-12

Translated version. Not for legal use

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है| सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा|

व्यक्ति, जो लाठी, फरसा, कट्टा तथा टॉर्च से लैस थे, पोहप सिंह के परिवार के सदस्यों को मार-पीट रहे थे, लूटपाट कर रहे थे तथा घर के भीतर-बाहर आ-जा रहे थे। पोहप सिंह तथा उसके पुत्र बनवारी और मुरारी बरामदे में सो रहे थे। डकैतों ने उनके साथ भी मारपीट की। एक डकैत मकान की छत पर चढ़ा हुआ था और कह रहा था, 'मैं तोथा का कुंजी हूँ, यदि कोई आगे बढ़ा तो मैं उसे गोली मार दूँगा।' वह लगातार फायरिंग कर रहा था। डकैत लगभग आधे घंटे तक लूटपाट करते रहे और उसके बाद चले गए। भयवश हमने उनका पीछा नहीं किया। उन डकैतों/बदमाशों में हमने पाँच व्यक्तियों, अर्थात् बहोरी, बीरी सिंह, अमर सिंह, प्रकाश तथा हरदयाल को पहचान लिया। यही लोग मारपीट तथा लूटपाट में शामिल थे। मुरारी, बनवारी, पोहप सिंह, प्रेमवती, रामवती, रामश्री, किश्नी तथा सुन्दर को चोटें आईं और डकैतों द्वारा चलाई गई गोली से सुमेरा की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।"

24. अपने प्रतिपरीक्षण में सूचनादाता टीका राम (अ.सा.-1) ने कहा, "अभियुक्त हरदयाल ने मेरे पुत्र राम कुमार के नाम एक वसीयत की थी। उस समय हरदयाल की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी और हरदयाल बीमार रहता था। तब तक उसने दूसरा विवाह नहीं किया था। उसकी पहली पत्नी से कोई संतान भी नहीं थी। इस डकैती की घटना से पहले, दिनांक 28.03.1984 को हरदयाल ने उक्त वसीयत निरस्त कर दी थी। हरदयाल द्वारा वसीयत रद्द किए जाने पर मुझे न तो अच्छा लगा और न ही बुरा। यह कहना गलत है कि वसीयत निरस्त किए जाने के कारण मैंने हरदयाल तथा उसके परिवार के सदस्यों को इस डकैती के मामले में झूठा फँसा दिया है।"

25. अ.सा.-1 ने अपने प्रतिपरीक्षण में आगे कहा कि उसे यह जानकारी नहीं थी कि सभी अभियुक्त आपस में रिश्तेदार हैं। उसने यह भी कहा कि उसे यह ज्ञात नहीं था कि अमर सिंह और प्रकाश, बीरी तथा बहोरी के चचेरे भाई हैं। अ.सा.-1 ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि अपराध कारित किए जाने के समय किसी भी डकैत ने अपना चेहरा नहीं ढका था।

26. इस प्रकार, सूचनादाता टीका राम (अ.सा.-1) के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि उसने न्यायालय में वही तथ्य बताए हैं जो उसकी लिखित तहरीर (प्रदर्श-क-1) में उल्लिखित थे। उसके अनुसार, अपीलकर्ता हरदयाल इस घटना का मुख्य सूत्रधार था। अ.सा.-1 के कथनानुसार, हरदयाल ने दीपा की पत्नी को भगाकर ले गया था और जब टीका राम के भाई पोहप सिंह ने दीपा की सहायता की, तो हरदयाल ने पोहप सिंह के प्रति वैमनस्य पाल लिया। बाद में हरदयाल की पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई और उसने टीका राम के पुत्र राम कुमार के पक्ष में एक वसीयत निष्पादित की थी, जिसे उसने घटना से लगभग 3-4 माह पूर्व निरस्त कर दिया था।

27. लिखित तहरीर (प्रदर्श-क-1) तथा न्यायालय में सूचनादाता टीका राम (अ.सा.-1) द्वारा दिए गए साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि इस साक्षी के अनुसार अपीलकर्ता हरदयाल ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर पोहप सिंह के घर डकैती की घटना कारित की थी। उसके अनुसार यह घटना विद्युत प्रकाश में हुई थी तथा अपीलकर्ताओं ने अपने चेहरे नहीं ढके थे।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है| सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा|

28. सूचनादाता टीका राम (अ.सा.-1) के साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उसके अनुसार पूर्व शत्रुता के कारण अपीलकर्ता हरदयाल ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर सूचनादाता के भाई पोहप सिंह के घर पर कथित डकैती की घटना को अंजाम दिया था।

28. तथापि, टीका राम (अ.सा.-1) के साक्ष्य का परीक्षण करने पर हम पाते हैं कि उसका कथन स्पष्टवादिता और सत्यनिष्ठा से रहित है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस साक्षी ने पूर्व शत्रुता के कारण उन व्यक्तियों को, जो उसके लिए पहले से परिचित एवं ज्ञात थे, इस मुकदमे में झूठा फँसा दिया है। इस साक्षी की गवाही न्यायालय का विश्वास उत्पन्न नहीं करती, अतः इसे विश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

29. अभियोजन ने बाबू लाल को अ.सा.-2 तथा बनवारी लाल को अ.सा.-3 के रूप में प्रस्तुत किया। इन दोनों साक्षियों के साक्ष्य के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उन्होंने अपने बयानों में कहा कि घटना के समय विद्युत प्रकाश उपलब्ध था और उसी प्रकाश में उन्होंने हरदयाल, बीरी सिंह, बहोरी, अमर सिंह तथा प्रकाश को मारपीट करते हुए तथा डकैती करते हुए पहचाना था। इन दोनों अभियोजन साक्षियों ने यह भी कहा कि उन्होंने हरदयाल एवं अन्य अभियुक्तों को आग्नेयास्त्रों तथा अन्य हथियारों से हमला करते हुए देखा, जिसके परिणामस्वरूप सुमेरा की मृत्यु हो गई तथा नौ अन्य व्यक्तियों को चोटें आईं। बनवारी लाल (अ.सा.-3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी कहा कि अभियुक्तों में केवल हरदयाल ही उसके गाँव का निवासी है, जबकि अन्य अभियुक्त प्रायः हरदयाल के यहाँ आया-जाया करते थे। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि हरदयाल उसी गाँव का निवासी था तथा अन्य अभियुक्त उसके रिश्तेदार अथवा परिचित व्यक्ति थे। बाबू लाल (अ.सा.-2) तथा बनवारी लाल (अ.सा.-3) के कथन सूचनादाता टीका राम (अ.सा.-1) के विवरण की पुष्टि करते हैं।

30. यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि विवेचक अपीलकर्ताओं के घरों अथवा उनके कब्जे से कोई भी लूटा हुआ सामान, जैसे आभूषण अथवा अन्य वस्तुएँ, बरामद नहीं कर सका। यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल दर्ज कराई गई थी, तथापि विवेचक अभियुक्तों के कब्जे अथवा उनके घरों से लूटे गए किसी भी सामान, वस्तु अथवा सामग्री की बरामदगी नहीं कर पाया। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विवेचक अपीलकर्ताओं के घरों से अथवा उनके द्वारा बताई गई किसी जगह से एक भी आभूषण, मूल्यवान वस्तु अथवा अन्य लूटी गई सामग्री बरामद करने में सफल नहीं हुआ। अतः, जब अभियुक्तों के घरों अथवा उनके कब्जे से लूट की किसी भी वस्तु की बरामदगी नहीं हुई, तो केवल इस आधार पर कि उनका नाम अभियोजन साक्षियों ने लिया है, उन्हें डकैती की घटना से जोड़कर उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

31. यह एक सर्वविदित तथ्य है कि डकैत सामान्यतः रात्रि के अंधकार का लाभ उठाकर अपने अपराध करते हैं तथा अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने चेहरे ढक लेते हैं, ताकि उनकी पहचान उजागर न हो सके। किन्तु वर्तमान मामले में आश्चर्यजनक रूप से अभियोजन का आरोप है कि अपीलकर्ताओं ने सूचनादाता टीका राम (अ.सा.-1) के भाई पोहप सिंह के घर रात्रि में डकैती की, वह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है| सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा|

भी ऐसी स्थिति में जब वहाँ विद्युत प्रकाश उपलब्ध था और उन्होंने अपने चेहरे भी नहीं ढके थे। यह भी अत्यन्त आश्चर्यजनक तथ्य है कि अपीलकर्ता हरदयाल उसी गाँव का निवासी था, जिसमें सूचनादाता टीका राम रहता था, फिर भी उसने अपराध करते समय अपना चेहरा नहीं ढका। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता हरदयाल तथा अन्य कथित अपराधियों ने जानबूझकर पोहप सिंह के घर पर, विद्युत प्रकाश में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हुए और बिना अपने चेहरे ढके, अपराध किया ताकि सूचनादाता टीका राम (अ.सा.-1) तथा अन्य अभियोजन साक्षी, अर्थात् बाबू लाल (अ.सा.-2) और बनवारी लाल (अ.सा.-3), उन्हें आसानी से पहचान सकें और उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकें।

32. इस मामले के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सभी तथ्यात्मक अभियोजन साक्षियों ने केवल अपीलकर्ता हरदयाल के प्रति विद्यमान शत्रुता के कारण एक मनगढ़ंत कृत्रिम तथा गढ़ी हुई कहानी प्रस्तुत की है। यह एक स्वाभाविक तथ्य है कि कोई भी व्यक्ति, जो अपराध कर रहा होता है, अपनी पहचान छिपाने का पूरा प्रयास करता है ताकि अपराध का शिकार व्यक्ति तथा पुलिस उसे घटनास्थल पर उपस्थित होने से न जोड़ सकें और उसके अपराध में संलिप्त होने का पता न लगा सकें। किन्तु वर्तमान मामले में अभियोजन साक्षियों ने ऐसे तथ्यों का वर्णन किया है जो सामान्य मानवीय स्वभाव के प्रतिकूल हैं। उनका कथन है कि सभी अपीलकर्ता बिना अपने चेहरे ढके ही डकैती कर रहे थे। इन कारणों से हम इन अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य पर विश्वास करने में असमर्थ हैं।

33. इस स्तर पर ***इकबाल एवं एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2015) 6 एस.सी.सी. 623*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि का उल्लेख करना समीचीन होगा। उक्त निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिवेदन के अनुच्छेद 10, 16 एवं 17 में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की हैं—

10 : *"डकैती के मामलों में सामान्यतः अपराध अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि होती है। बहुत कम मामलों में डकैत पीड़ितों के परिचित होते हैं। अ.सा.-1 पटिया सिंह तथा अ.सा.-2 जय सिंह ने कहा कि उन्होंने घटना को लगभग साढ़े तीन गज की दूरी से देखा था। अ.सा.-3 बेगराज ने भी कहा कि उसने घटना को पाँच-छः गज की दूरी से टॉर्च की मंद रोशनी में देखा था। साक्षियों के अनुसार घटना के समय उनके घरों में बिजली नहीं थी। उनका दावा था कि उन्होंने टॉर्च की सहायता से अभियुक्तों को देखा था। अधीनस्थ न्यायालयों में अभियुक्तों की ओर से यह तर्क दिया गया था कि घटना की रात अमावस्या की रात थी। उस वर्ष के कैलेंडर के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि 21/22 सितम्बर, 1979 की मध्यरात्रि वास्तव में अमावस्या की रात थी।"*

16 : *"यह उल्लेखनीय है कि उस मामले में डकैती की विषय-वस्तु रही कोई भी वस्तु अपीलकर्ताओं अथवा अन्य गैर-अपीलकर्ता अभियुक्तों से बरामद नहीं हुई थी। अ.सा.-1 ने अपनी शिकायत में लगभग पचास मूल्यवान वस्तुओं, जैसे स्वर्ण आभूषण, रजत वस्तुएँ, साड़ियाँ, कपड़े तथा नकदी का विवरण दिया था। किन्तु बरामदगी मेमो के अनुसार केवल एक मिट्टी के बर्तन में रखा तीन किलोग्राम घी बरामद हुआ था। अ.सा.-8 नेपाल सिंह (विवेचक) ने अपने बयान में कहा कि अभियुक्त कृपा की निशानदेही पर उसने एक 'चप्टाघ' तथा एक 'पोशाक' बरामद की थी, किन्तु बरामदगी मेमो में केवल तीन किलोग्राम घी का ही उल्लेख है, जिसे अभियुक्त कृपा के प्रकटीकरण कथन के आधार पर बरामद किया गया बताया गया है। अपीलकर्ताओं तथा अन्य अभियुक्तों से चोरी गई वस्तुओं की सूची में वर्णित एक भी मूल्यवान वस्तु बरामद नहीं हुई। यह विश्वास करना कठिन है कि घटना की तिथि 21.09.1979 से गिरफ्तारी की तिथि 09.10.1979 के बीच के अल्प समय में अभियुक्त सभी*

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है| सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा|

मूल्यवान वस्तुओं को बेच चुके होंगे अथवा उनका रूपान्तरण कर चुके होंगे। यदि यह मान भी लिया जाए, तब भी अभियोजन को यह साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए था कि डकैती की वस्तुओं का निस्तारण या रूपान्तरण किस प्रकार और किन परिस्थितियों में किया गया। हत्या और लूट एक ही लेन-देन का हिस्सा थीं। अभियुक्त के प्रकटीकरण कथन के परिणामस्वरूप केवल तीन किलोग्राम घी की ही बरामदगी हुई थी।"

17 : *"अभियुक्त व्यक्तियों का अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन का यह कर्तव्य है कि वह यह प्रमाणित करे कि चोरी की गई संपति अभियुक्तों के कब्जे में थी, अथवा अभियुक्तों को यह जानकारी थी कि उक्त संपति चोरी की संपति है, अथवा अभियुक्तों ने उस चोरी की संपति का रूपान्तरण किया था। अपीलकर्ताओं तथा अन्य गैर-अपीलकर्ता अभियुक्तों को अपराध से जोड़ने के लिए ऐसी कोई बरामदगी नहीं की गई थी।"*

34. डकैती के एक मामले के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***लक्ष्मण प्रसाद बनाम बिहार राज्य, ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 1388*** के निर्णय में प्रतिवेदन के अनुच्छेद 3 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की थीं, जिन्हें नीचे उद्धृत किया जा रहा है—

"3. अपीलकर्ता के विरुद्ध मुख्य साक्ष्य अ.सा.-1 और अ.सा.-2 की गवाही थी, जो परिवादी अ.सा.-4 बैजनाथ प्रसाद के नौकर थे। साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि बैजनाथ प्रसाद उस क्षेत्र का एक समृद्ध व्यापारी था और अभियुक्त-अपीलकर्ता लक्ष्मण प्रसाद उसका पड़ोसी था, जिसके पास दो मंजिला मकान था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अभियोजन के इस कथन को स्वीकार किया कि बैजनाथ प्रसाद के घर डकैती हुई थी, जिसमें नकदी तथा अन्य सामान चोरी कर लिया गया था। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालयों के इस निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी है। हम भी इस बात से संतुष्ट हैं कि बैजनाथ प्रसाद के घर वास्तव में डकैती हुई थी। विचारणीय एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता ने उस अपराध में भाग लिया था अथवा नहीं। अ.सा.-1, अ.सा.-2 तथा अ.सा.-4 ने अभियोजन के इस कथन का समर्थन किया है कि अपीलकर्ता ने डकैती में सक्रिय भाग लिया था और वास्तव में वह डकैतों का नेता था। उनके साक्ष्य का परीक्षण करने पर हमें यह अवश्य प्रतीत होता है कि उनकी गवाही में कुछ सीमा तक सामंजस्य है, किन्तु मात्र सामंजस्य अथवा एकरूपता ही सत्य का एकमात्र मापदण्ड नहीं है। कभी-कभी असत्य को भी अत्यन्त चतुराई से सत्य का रूप दे दिया जाता है, जिससे सत्य ओझल हो जाता है और असत्य सतह पर आ जाता है। वर्तमान मामला भी ऐसा ही प्रतीत होता है। जहाँ तक अपीलकर्ता की सहभागिता का प्रश्न है, अभियोजन के मामले में अनेक अंतर्निहित असंभावनाएँ हैं। प्रथम, यह निर्विवाद है कि अपीलकर्ता एक सम्मानित व्यक्ति था, पर्याप्त साधनों का स्वामी था, एक प्रसिद्ध होम्योपैथ चिकित्सक था तथा परिवादी का पड़ोसी भी था। ऐसी स्थिति में यह विश्वास करना कठिन है कि वह अपने ही पड़ोसी के घर, वह भी सायंकाल के प्रारम्भिक समय में, डकैती करेगा और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 के अंतर्गत दोषसिद्धि का जोखिम उठाएगा। द्वितीय, परिवादी अ.सा.-4 के साक्ष्य से स्पष्ट है कि डकैतों ने अपनी पहचान छिपाने का प्रयास अवश्य किया था, किन्तु इस प्रकार कि उनके चेहरे दिखाई दे रहे थे। यदि वास्तव में अपीलकर्ता ने डकैती में भाग लिया होता और पहचान छिपाने की सावधानी बरती होती, तो वह यह सुनिश्चित करता कि उसका चेहरा पूर्णतः ढका रहे, जिससे परिवादी अथवा साक्षियों द्वारा उसकी पहचान असम्भव हो जाती। दूसरी ओर, यदि वह अत्यन्त साहसी व्यक्ति होता, तो वह अपनी पहचान छिपाता ही नहीं। तृतीय, उसी सायंकाल प्राथमिकी दर्ज हो जाने के बाद पुलिस अगले ही दिन प्रातः अपीलकर्ता के घर पहुँची और उसे वहीं पाया। यदि अपीलकर्ता वास्तव में डकैती में सम्मिलित होता, तो कम से कम वह कुछ समय के लिए वहाँ से अनुपस्थित हो जाता। अभियुक्त के घर की तलाशी भी ली गई, किन्तु वहाँ से कोई भी आपत्तिजनक अथवा अपराध से सम्बद्ध सामग्री बरामद नहीं हुई। अंततः, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण परिस्थिति यह थी कि परिवादी बैजनाथ प्रसाद और अपीलकर्ता के बीच विद्यमान विवाद के कारण, शत्रुता के आधार पर अपीलकर्ता को झूठा फँसाए जाने की स्पष्ट संभावना मौजूद थी। स्वयं परिवादी ने स्वीकार किया है कि अपीलकर्ता के घर के चारों ओर एक सीमा-दीवार थी और उसके घर के पूर्व दिशा में एक मार्ग था, जबकि परिवादी की मिल उसके घर के पश्चिम दिशा में स्थित थी। बचाव पक्ष का साक्षी संख्या-2 के साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि डकैती की घटना से दो-तीन वर्ष पूर्व, अपीलकर्ता लक्ष्मण प्रसाद के घर के निकट स्थित एक रास्ते को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसका उपयोग अपीलकर्ता अपनी मिल तक जाने के लिए करता था। बचाव पक्ष का साक्षी संख्या-2 का साक्ष्य उस तथ्य की पुष्टि करता है जिसे स्वयं परिवादी ने

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है| सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा|

स्वीकार किया है। परिवादी को सबसे अधिक उकसाने वाली बात यह थी कि लक्ष्मण प्रसाद ने उसके घर के निकट स्थित एक भूमि का टुकड़ा, बैजनाथ प्रसाद के भतीजे किशोरी लाल से खरीद लिया था। यह तथ्य प्रदर्श-'खा' तथा बचाव पक्ष का साक्षी संख्या -4 के साक्ष्य द्वारा सिद्ध होता है।" "उच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि परिवादी के भतीजे द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख इस घटना से मात्र एक माह पूर्व निष्पादित किया गया था। अतः यह तथ्य अपीलकर्ता को झूठा फँसाने के लिए एक तात्कालिक प्रेरणा अथवा कारण प्रदान करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण परिस्थिति, जिस पर अधीनस्थ न्यायालयों ने ध्यान नहीं दिया, यह है कि अ.सा.-4 ने अपने साक्ष्य में, पेपर-बुक के पृष्ठ 44 पर, स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि घटना के तुरन्त बाद मस्जिद के निकट अनेक व्यक्ति एकत्र हो गए थे, जिनमें से उसने सुबा राउत तथा मोती राउत को पहचाना था, किन्तु उनमें से किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। साक्षी ने यह भी कहा कि जब वह पश्चिम दिशा से आया, तब उसने कुछ दूरी पर 40 से 50 व्यक्तियों को खड़ा देखा, जिनमें गणेश राउत, अछेलाल, मथुरा राम तथा रामेश्वर भी सम्मिलित थे। स्पष्टतः यदि सायंकाल के प्रारम्भिक समय में डकैती जैसी घटना घटित हुई होती, तो निकटवर्ती पड़ोसी अवश्य एकत्र हुए होते। फिर भी, इन पड़ोसियों में से किसी को भी परिवादी के इस कथन के समर्थन में साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया कि अपीलकर्ता घटना में सम्मिलित था। हमें प्रतीत होता है कि इन व्यक्तियों ने परिवादी का समर्थन इसलिए नहीं किया क्योंकि सम्भवतः अपीलकर्ता को झूठा फँसाया गया था, और जो लोग वहाँ एकत्र हुए थे, वे डकैती के मामले में अपीलकर्ता को झूठा अभियुक्त बनाए जाने की स्थिति में परिवादी का समर्थन करना उचित नहीं समझते थे। ये आंतरिक परिस्थितियाँ अभियोजन के मामले के विरुद्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती हैं तथा अपीलकर्ता की डकैती में संलिप्तता के संबंध में हमारे मन में गंभीर संदेह उत्पन्न करती हैं। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि साक्षी झूठ बोल सकते हैं, किन्तु परिस्थितियाँ झूठ नहीं बोलतीं।"

35. जब वर्तमान मामले के साक्ष्यों का परीक्षण उपर्युक्त निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में किया जाता है, तो यह स्पष्ट होता है कि सामान्यतः डकैत रात्रि के अंधकार में अपने चेहरे ढककर डकैती करते हैं, जिससे उनकी पहचान न हो सके और वे पुलिस की पकड़ से बच सकें। किन्तु वर्तमान मामले में अपराध अत्यन्त साहसिक एवं असामान्य ढंग से किए जाने का आरोप है। अभियोजन के अनुसार घटना विद्युत प्रकाश की उपस्थिति में हुई और अपीलकर्ताओं ने अपने चेहरे भी नहीं ढके थे।

36. उपर्युक्त निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन साक्षियों की गवाही विश्वास उत्पन्न नहीं करती तथा अपीलकर्ताओं द्वारा अपराध कारित किए जाने को सिद्ध करने हेतु उस पर सुरक्षित रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, विवेचक अपीलकर्ताओं के कब्जे से कोई भी लूटा गया सामान, आभूषण अथवा अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद करने में असफल रहा।

37. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह पूर्णतः स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षियों ने न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्य प्रस्तुत नहीं किए हैं। फलस्वरूप, अभियोजन की कहानी मनगढ़ंत एवं असत्य प्रतीत होती है। दूसरे शब्दों में, अभियोजन ने घटनाओं का एक ऐसा संस्करण प्रस्तुत किया है जो असंभाव्य एवं अविश्वसनीय है तथा अपीलकर्ताओं को इस अपराध में झूठा फँसाया गया है।

38. लिखित तहरीर (प्रदर्श-क-1) तथा अभियोजन के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, अर्थात् सूचनादाता टीका राम (अ.सा.-1), बाबू लाल (अ.सा.-2) तथा बनवारी लाल (अ.सा.-3) के साक्ष्य के अवलोकन से यह

Translated version. Not for legal use

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है| सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा|

प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता हरदयाल तथा उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध सूचनादाता टीका राम के भाई पोहप सिंह के घर डकैती करने का आरोप असत्य एवं मनगढ़ंत है। प्रथम शत्रुता का कारण, जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित है तथा जिसे सूचनादाता टीका राम (अ.सा.-1) ने अपने साक्ष्य में भी दोहराया है, यह बताया गया है कि अपीलकर्ता हरदयाल ने दीपा की पत्नी को भगाकर ले गया था और उस प्रकरण में पोहप सिंह ने दीपा का समर्थन किया था। इसी कारण हरदयाल के मन में पोहप सिंह के प्रति वैमनस्य उत्पन्न हो गया था। शत्रुता का दूसरा कारण यह बताया गया है कि हरदयाल ने सूचनादाता टीका राम (अ.सा.-1) के पुत्र राम कुमार के पक्ष में एक वसीयत निष्पादित की थी, जिसे उसने घटना से लगभग तीन-चार माह पूर्व निरस्त (रद्द) कर दिया था। इन दोनों स्वीकृत शत्रुता के कारणों को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन का यह कथन कि हरदयाल और उसके रिश्तेदारों ने विद्युत प्रकाश की उपस्थिति में, खुले रूप से तथा बिना अपने चेहरे ढके डकैती की, अत्यन्त संदेहास्पद एवं शंकाजनक प्रतीत होता है।

39. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***सुशील एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1995 एस.सी.सी. (क्रि.) 388*** तथा ***पंजाब राज्य बनाम सुच्चा सिंह, (2003) 3 एस.सी.सी. 153*** के मामलों में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है—

"शत्रुता दोधारी तलवार के समान है, जो दोनों ओर से वार करती है। एक ओर यह अपराध करने का उद्देश्य हो सकती है, तो दूसरी ओर यह किसी व्यक्ति को झूठा फँसाने का कारण भी बन सकती है।"

40. अतः केवल शत्रुता के आधार पर, बिना किसी अन्य पुष्टिकारक अथवा अभियुक्त को अपराध से जोड़ने वाले साक्ष्य के, किसी अभियुक्त को अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यदि शत्रुता अपराध करने का एक कारण हो सकती है, तो वही शत्रुता किसी व्यक्ति को किसी मुकदमे में झूठा फँसाने का आधार भी हो सकती है। इस प्रकार, केवल शत्रुता के आधार पर यह विधिक अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं ने विद्युत प्रकाश की उपस्थिति में तथा बिना अपने चेहरे ढके, सूचनादाता टीका राम (अ.सा.-1) के भाई पोहप सिंह के घर डकैती की थी।

41. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पोहप सिंह, जिसके घर पर कथित रूप से डकैती होने का आरोप है, को अभियोजन द्वारा साक्षी के रूप में परीक्षित नहीं कराया गया। अभियोजन द्वारा पोहप सिंह को साक्षी के रूप में प्रस्तुत न किए जाने के कारणों की जानकारी सर्वाधिक अभियोजन पक्ष को ही हो सकती है। यह तथ्य भी अभियोजन के विरुद्ध जाता है और उसके कथन की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

42. विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि के कारणों एवं निष्कर्षों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय ने शत्रुता के पहलू पर उचित दृष्टिकोण से विचार नहीं किया। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि शत्रुता एक दोधारी तलवार है, जो दोनों ओर से वार करती है। एक ओर यह अपराध करने का उद्देश्य हो सकती है, तो दूसरी ओर यह किसी व्यक्ति को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है| सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा|

Translated version. Not for legal use.

झूठा फँसाने का कारण भी बन सकती है। विचारण न्यायालय इस महत्वपूर्ण तथ्य पर भी विचार करने में असफल रहा कि इस प्रकार के अपराध सामान्यतः गुप्त तरीके से किए जाते हैं, जहाँ अपराधी अपनी पहचान छिपाने हेतु चेहरे ढक लेते हैं। इन महत्वपूर्ण पहलुओं के बावजूद, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने उन पर समुचित विचार नहीं किया और सरसरी ढंग से अभियोजन साक्ष्यों पर विश्वास करते हुए, विधि के स्थापित सिद्धान्तों के विपरीत निष्कर्ष निकाल लिया। अभिलिखित निष्कर्षों, तर्कों तथा दोषसिद्धि को बनाए रखने में असमर्थ हैं।

43. यह अभियोजन का दायित्व भी था कि वह विद्युत विभाग के संबंधित उपखंड अथवा फीडर के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी का साक्ष्य प्रस्तुत करता, जो यह सत्यापित कर सकता कि ग्राम सकरवा को किस फीडर से विद्युत आपूर्ति प्राप्त होती थी। यदि ऐसे किसी अधिकारी को अभियोजन साक्षी के रूप में परीक्षित कराया जाता, तो वह यह बता सकता था कि कथित घटना की तिथि एवं समय, अर्थात् 10/11.11.1985 की मध्यरात्रि लगभग 2:00 बजे, ग्राम सकरवा में विद्युत आपूर्ति उपलब्ध थी अथवा नहीं। इस प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत न किया जाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपराधिक विधि का मूलभूत सिद्धान्त है कि अभियोजन पर अपने मामले को संदेह से परे सिद्ध करने का भार होता है।

44. यद्यपि छह व्यक्तियों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था, तथापि विवेचक द्वारा केवल पाँच व्यक्तियों के विरुद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया। नामजद अभियुक्त कुंजी जाटव का पता नहीं चल सका, जिसके कारण पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी और उसके विरुद्ध आरोपपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपर्युक्त समस्त विचार-विमर्श के आधार पर हमारा सुविचारित मत है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त-अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराते हुए अभिलिखित कारण एवं निष्कर्ष विधि की दृष्टि में टिकाऊ नहीं हैं। हमें अभियुक्त-अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों में पर्याप्त बल प्रतीत होता है। उपर्युक्त कारणों से वर्तमान आपराधिक अपील स्वीकार किए जाने योग्य है और तदनुसार **स्वीकार** की जाती है।

45. फलस्वरूप, सत्र परीक्षण संख्या 166 वर्ष 1986 (राज्य बनाम अमर सिंह एवं अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 196 वर्ष 1985, धारा 396 भारतीय दण्ड संहिता, थाना गोवर्धन, जनपद मथुरा से उत्पन्न हुआ था, में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, मथुरा द्वारा दिनांक 22.12.1987 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का निर्णय ***निरस्त*** किया जाता है।

46. अपीलकर्ता **हरदयाल** की ओर से प्रस्तुत वर्तमान आपराधिक अपील पूर्व में ही इस न्यायालय के दिनांक 26.07.2018 के आदेश द्वारा उसके निधन के कारण उपशमित घोषित की जा चुकी है। शेष अपीलकर्ता, अर्थात् *अमर सिंह, प्रकाश उर्फ* **ओम प्रकाश, बहोरी तथा बीरी सिंह**, वर्तमान में जमानत

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है|
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा|

पर हैं। उन्हें आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। उनके समस्त जमानत बन्धपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभू अपने दायित्वों से मुक्त किए जाते हैं।

47. अपीलकर्ता **अमर सिंह, प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश, बहोरी** तथा **बीरी सिंह** में से प्रत्येक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 481 (जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437-ए के समतुल्य है) के अधीन ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र निष्पादित करेगा, ताकि उनकी दोषमुक्ति के विरुद्ध यदि कोई अपील दायर की जाती है, तो आवश्यकता पड़ने पर वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकें।

48. इस निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों सहित तत्काल विद्वान विचारण न्यायालय को आवश्यक अनुपालन हेतु प्रेषित की जाए।

(न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी) **(न्यायमूर्ति जे. जे. मुनीर)**

आदेश दिनांक- 24.02.2026

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।